

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:-
सेवा में,

1212 / 14-10-4, लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 2023

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के कि०मी० 0.00 से 39.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्युशंस सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-586/11-सी-FP/UP/Road/146875/2021 दिनांक-04.09.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर ने अपने पत्रांक-1558/14-1 दिनांक-11.09.2023 द्वारा आपत्तियों की निराकरण आख्या/ अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: सीतापुर-हरदोई (राजगार्ग संख्या-330डी) के कि०मी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 586/11-सीFP/UP/Road/146875/2021 दिनांक 04.09.2023

महोदय,

विषयांकित क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है-

ऑनलाइन पार्ट-2 में DFO के स्तर पर पायी गयी कमियाँ-

(अ) हरदोई वन प्रभाग-

क्र०	आपत्ति	उत्तर
1	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पूर्ण हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	प्रभागीय निदेशक की संस्तुति का पूर्ण हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट अपलोड करें।	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट Additional Information Detail में पुनः अपलोड कर दी गयी है।

(ब) सीतापुर वन प्रभाग-

क्र०	आपत्ति	उत्तर
1	ऑन लाइन के क्रमांक-5 Working Plan Prescription for the Forest Land Proposed for Diversion में विवरण गलत फीड है।	ऑन लाइन के क्रमांक-5 Working Plan Prescription for the Forest Land Proposed for Diversion में विवरण संशोधित कर सही फीड कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन के क्रमांक-13(i) में CA की धनराशि गलत फीड है।	ऑनलाइन के क्रमांक-13(i) में अपलोड CA रथल पर किए जाने वाले वृक्षारोपण पर व्यय की जाने वाली धनराशि प्राक्कलन के अनुसार फीड कर दी गयी है।

3	ऑनलाइन के क्रमांक-13(ii) में अपलोड CA प्रावकलन में CA स्थल का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-2 में फीड किए गए CA स्थलों के क्षेत्रफलों में भिन्नता है, अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्रावकलन यथारथान पर अपलोड करें।	ऑनलाइन के क्रमांक-13(ii) में अपलोड CA प्रावकलन में CA स्थल का क्षेत्रफल ऑनलाइन भाग-2 में फीड किए गए CA स्थलों के सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्रावकलन यथारथान पर अपलोड कर दिया गया है।
4	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट अपलोड करें।	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कॉलम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट Additional Information Detail में पुनः अपलोड कर दी गयी है।
5	ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Detail में क्रमांक-4, 5, 6, 7 व 9 पर अपलोड किए गए अभिलेखों का नाम रिमार्क कॉलम में अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Detail में क्रमांक-4, 5, 6, 7 व 9 पर अपलोड कर अभिलेखों का नाम रिमार्क कॉलम में अंकित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण कराते हुए सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(बृजमोहन शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर

पत्रांक:

/

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई को सूचनार्थ प्रेषित।

(बृजमोहन शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर